


समयमयम्भे

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 2015/ज्येष्ठ 9, 1937

No. 353]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 2015/JYAISTHA 9, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

सा.का.नि. 442(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में -

(क) नियम 12 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“परंतुक यह कि जहां किसी कंपनी के किसी उद्देश्य की प्राप्ति के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूति विनियम बोर्ड जैसे क्षेत्रीय विनियामकों से रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन अपेक्षित है तो ऐसे भी विनियामक से कंपनी द्वारा ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति से पहले, यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और कंपनी के निगमन के समय इस निमित्त घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।”;

(ख) नियम 24 का लोप किया जाएगा;

(ग) उपाबंध में,-

(i) प्ररूप संख्या आईएनसी-13 और आईएनसी-16 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप आईएनसी-13 और आईएनसी-16 रखे जाएंगे, अर्थात् -

“फॉर्म सं. आईएनसी-13

संगम जापन

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 19(2) देखें]

1. कम्पनी का नाम है “.....” ।
2. कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राज्य में स्थित होगा ।
3. कम्पनी जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई है वे निम्नलिखित हैं :

.....

उपर्युक्त उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी विधिपूर्ण कार्य करना :

परंतु यह कि कम्पनी अपनी निधि से अथवा प्रयासों से किसी ऐसे विनियम अथवा प्रतिबंध को इसके सदस्यों अथवा अन्यो पर अधिरोपित करने अथवा उनके द्वारा उपारत किए जाने का प्रबंध करने का समर्थन नहीं करेगी जो कम्पनी के एक उद्देश्य के रूप में इसे एक ट्रेड यूनियन बना दे ।

4. कम्पनी का उद्देश्य की विस्तार तक है ।

[यहां राज्य अथवा राज्यों और देश अथवा देशों के नाम प्रविष्ट करें]

5. (i) कम्पनी को कोई लाभ, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय और सम्पत्ति, जब भी प्राप्त हो, केवल इस जापन-पत्र में बताए गए उद्देश्यों के संवर्धन के लिए प्रयोग की जाएगी ।
- (ii) उपर्युक्त लाभ, अन्य आय अथवा सम्पत्ति का कोई हिस्सा किसी भी समय कम्पनी के सदस्य रह चुके व्यक्तियों अथवा किसी एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को अथवा किसी एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को लाभांश, बोनस अथवा लाभ के माध्यम से अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा ।
- (iii) कम्पनी द्वारा इसके किसी सदस्य, चाहे वह कम्पनी का अधिकारी अथवा सदस्य हो अथवा नहीं, को जेबी खर्च, उधार ली गई राशि पर तर्कसंगत और उचित ब्याज, अथवा कम्पनी द्वारा किराये पर लिए गए भवनों के लिए तर्कसंगत और उचित किराये को छोड़ कर रुपये-पैसे अथवा रुपये-पैसे के मूल्य में कोई पारिश्रमिक अथवा अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा ।
- (iv) इस खंड में कि कोई बात कम्पनी को वास्तव में दी गई किन्हीं सेवाओं के बदले कम्पनी द्वारा इसके किसी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों (सदस्य न रहते हुए) अथवा किसी अन्य व्यक्ति (सदस्य न रहते हुए) को सदभावना में विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकेगा ।
- (v) खंड (iii) और (iv) में कि कोई बात कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा कम्पनी को वास्तव में दी गई किन्हीं सेवाओं (जो एक सदस्य द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित सेवाएं वस्तु के रूप में न हों) के बदले कम्पनी द्वारा सद्भावना से विवेकपूर्ण पारिश्रमिक देने से नहीं रोकेगी ।
6. इस संबद्धता के जापन में अथवा तत्समय प्रवृत्त कम्पनी की संबद्धता के अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि यह परिवर्तन पूर्व में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत न किया गया हो और रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित न किया गया हो ।
7. सदस्यों का दायित्व सीमित है ।
8. [गारंटी द्वारा लिमिटेड कम्पनियों के लिए]

प्रत्येक सदस्य, सदस्य रहते हुए अथवा उसके बाद एक वर्ष के अंदर कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में उसके सदस्य रहते हुए कम्पनी द्वारा किए गए करारों के संबंध में ऋण अथवा दायित्वों के संदाय और

परिसमापन की लागत, प्रभार अथवा व्यय और आवश्यकतानुसार अंशदाताओं के बीच अधिकारों के समायोजन के लिए तक की राशि के रूप में कम्पनी की आस्तियों में अंशदान देने का वचन देता है।

[शेयर से लिमिटेड कम्पनियों के लिए]

कम्पनी की शेयर पूँजी रुपये होगी जो प्रत्येक शेयर के लिए रुपये के शेयरों में विभाजित की जाएगी।

9. (1) कम्पनी को प्राप्त होने वाली और कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली सभी राशियों और ऐसे मामलों जिनके संबंध में ऐसी रसीदें अथवा व्यय होते हैं और कम्पनी की सम्पत्ति, ऋण अथवा दायित्वों का सही-सही लेखा रखा जाएगा; और, तत्समय प्रवृत्त कम्पनी के विनियमों के अनुसार निरीक्षण के समय एवं रीति के संबंध में लगाए गए किसी युक्तियुक्त निर्बंध के अध्यक्षीन लेखे सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- (2) कम से कम वर्ष में एक बार कम्पनी के लेखों का परीक्षण किया जाएगा और समुचित रूप से अर्हित लेखापरीक्षक अथवा लेखापरीक्षकों द्वारा तुलन-पत्र एवं आय तथा व्यय लेखों की शुद्धता अधिनिश्चित की जाएगी।
10. **यदि कम्पनी का परिसमापन किए अथवा इसका विघटन किए जाने पर सभी ऋण एवं दायित्व चुकाने के बाद कोई सम्पत्ति बचती है तो यह कम्पनी के सदस्यों के बीच नहीं बांटी जाएगी बल्कि अधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यक्षीन इस कम्पनी के समान उद्देश्यों वाली किसी और कम्पनी को दे दी जाएगी अथवा अंतरित कर दी जाएगी अथवा विक्रय कर दी जाएगी और इससे मिलने वाली राशि इस अधिनियम की धारा 269 के अधीन गठित पुनर्वास एवं दिवालियापन कोष को दे दी जाएगी।
11. "इस कम्पनी को केवल अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कम्पनी के साथ समामेलन किया जा सकेगा।
12. हम, विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम, पते, विवरण और व्यवसाय नीचे दर्शाए गए हैं, लाभ के लिए नहीं बल्कि इस संबद्धता ज्ञापन के अनुसरण में एक कम्पनी के रूप में संगठित होने के इच्छुक हैं :

अभिदाताओं के नाम, पते, विवरण और व्यवसाय :

1. का *
2. का *
3. का *
4. का *
5. का *
6. का *
7. का *

उपर्युक्त हस्ताक्षरों के गवाह :

1.
2.

तारीख, 20.... का दिन

* यदि संगठन शेयर से लिमिटेड कम्पनी है तो यहां प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिए गए "शेयरों की संख्या" प्रविष्ट करें।